न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—203 / 2026

1. परीक्षण राय पिता स्व0 चमरू राय,
2. नीरज कुमार पिता परीक्षण राय,
3. अजय कुमार पिता परीक्षण राय,
4. जगदीश राय पिता स्व0 चमरू राय,
5. सरीता देवी पति मुनारिक राय,
6. छोटी देवी पति अजय कुमार।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—278 / 2026

1. मुनारिक राय उर्फ मुन्द्रिका राय पिता जगदीश राय,
2. रवि कुमार पिता मुनारिक राय उर्फ मुन्द्रिका राय।

साकिनान— सिंघारा, थाना—मनेर, जिला—पटना।

——— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री शिवमूर्ति सिंह, अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

18.03.2026 मनेर थाना कांड संख्या—08 / 2026 धारा— 329(3),329(4), 115(2),117(2),190,191(2),109,126(2),352,76 बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक—02.01.2026 को करीब 05.30 बजे शाम में मैं रास्ते से घर जा रहे थे, तभी मैं रास्ते पर गोबर रखते हुये पडोसी को देखा तो मैं बोला कि रास्ते पर गोबर क्यों रखते हैं, तभी परीक्षण राय, नीरज कुमार, अजय कुमार, जगदीश राय, मुनारिक राय, रवि कुमार, सौरभ कुमार, सरीता देवी एवं छोटी देवी ने गाली—गलौज करते हुये अपने अपने हाथ में लोहे के रड एवं डंडा लेकर आया और मुझे मुनारिक राय अपने हाथ में लिये लोहे के लेकर आया और जान मारने की नियत से मेरे सर पर मारा, सर फट गया, वहीं गिर गया, तभी रवि कुमार लोहे के रड से मेरा पट पर मारा और बोल रहा है कि इसे जान मार दो, ये ज्यादा बोलता है, तभी मेरी मॉ हल्ला—गुल्ला की, तभी सुनकर बीच—बचाव करने आया तो उसे भी भद्दी—भद्दी गाली—गलौज करने लगा और नीरज कुमार मेरी मॉ को गाली—गलौज करते हुये बुरी नियत से कपड़ा फाड़ दिया और बाकी लोग ईंट—पत्थर एवं लाठी—डंडा चला रहे थे और धमकी देते हैं कि इनलोगों को इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, रास्ता से आयेगा तो पैर तोड़

देंगे। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि जख्म साधारण प्रकृति का है तथा उभय पक्षों में सुलह हो गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक–एक जमानतदार निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण/गिरफ्तार होने पर धारा–438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/–रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें

–

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।